UPMT010077012025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2945/2025
ऋषिपाल प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 355/2025, धारा 191(2),115(2),76,125 भारतीय न्याय संहिता व 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना छाता, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **ऋषिपाल** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– इस प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 12.07.2025 समय करीब 9 बजे वादी का पुत्र विष्णु गांव में सामान लेने गया था, तभी रास्ते में लक्ष्मीनारायन, ऋषिपाल, विनय, सुनील व अन्य लोगों से किसी बात पर कहासुनी हो गयी। वहीं पर झगड़ा हो गया, फिर ये सभी लोग उसके खेतों पर बने घर पर लाठी, डण्डा व तमंचा लेकर आये व वादी के परिवार पर जानलेवा हमला करते हुए मारपीट की, तमंचों से फायरिंग की व परिवार की बहू बेटियों के साथ मारपीट की व कपड़े फाड़ दिये।

आवेदक/अभियुक्त ऋषिपाल की निशानदेही पर उपरोक्त अपराध की घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस बरामद किया जाना आक्षेपित है।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा में मुख्यतः कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसको गलत एवं झूठा फँसाया गया है, उसने कोई कथित अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा कोई और जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी सक्षम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही खारिज किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 22 घण्टे विलम्ब से सोचसमझकर दर्ज करायी गयी है। कथित घटना का कोई निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह दर्शित नहीं है कि किस अभियुक्त के हाथ में कौन सा हथियार था। पुलिस द्वारा साज करके आवेदक/अभियुक्त पर 315 बोर का तमंचा व एक खोखा कारतूस फर्जी रूप से प्लांट किया गया है। उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त का परिवार पूर्व विधायक का समर्थक था जो चुनाव में हार गये थे। इस कारण चुनावी राजनीति एवं रंजिश के कारण उपरोक्त मुकदमा में उसे फर्जी रूप से पेचबन्दी में नामजद किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है, वह दिनांक 31.07.2025 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

4– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

5– अभियुक्त पक्ष की ओर से मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फँसाया गया है, उसने कोई कथित अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 22 घण्टे विलम्ब से सोचसमझकर दर्ज करायी गयी है। कथित घटना का कोई निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह दर्शित नहीं है कि किस अभियुक्त के हाथ में कौन सा हथियार था। पुलिस द्वारा साज करके आवेदक/अभियुक्त पर 315 बोर का तमंचा व एक खोखा कारतूस फर्जी रूप से प्लांट किया गया है। उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त का परिवार पूर्व विधायक का समर्थक था जो चुनाव में हार गये थे। इस कारण चुनावी राजनीति एवं रंजिश के कारण उपरोक्त मुकदमा में उसे फर्जी रूप से पेचबन्दी में नामजद किया गया है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2025.08.14 17:07:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष/वादी पक्ष की ओर से मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के परिवार पर जानलेवा हमला करते हुए मारपीट की, तमंचों से फायरिंग की व परिवार की बहू बेटियों के साथ मारपीट की व कपड़े फाड़ दिये। आवेदक/अभियुक्त ऋषिपाल की निशानदेही पर उपरोक्त अपराध की घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त दिनांक 31.07.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त किसी पूर्व प्रकरण में दोषसिद्ध हो, ऐसा कोई तर्क अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **ऋषिपाल** द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाय–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दिनांक–14.08.2025

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No. U.P. 1910

सन्देश वर्मा,पी.एस.